भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित** प्रश्नत संख्याए**78***

जिसका उत्तार शुक्रवार , 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

**नकली उर्वरकों पर रोक लगाना**

**78*. श्री भोजराज नाग:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यास सरकार ने देश में नकली उर्वरकों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां , तो तत्संमबंधी ब्यौररा क्या; है

(ग) क्याह विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीौसगढ़ में नकली उर्वरकों का कारोबार करने के आरोप में पंजीकृत व्याऔपारियों पर कोई छापेमारी की गई;हैऔर

(घ) यदि हां , तो उक्त् अवधि के दौरान कितने छापे मारे गए , कितने पंजीकरण/लाइसेंस रद्द किए गए और उनके विरुद्ध क्यात कानूनी कार्रवाई की गई और तत्संबंधी ब्यौ रा क्या है

**उत्त र**

**रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**
**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

---

**(क) से (घ):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*******

**'नकली उर्वरकों पर रोक लगाना ' के संबंध में श्री भोजराज नाग द्वारा पूछे गए दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 78* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

*******

**(क) से (ख):** उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)- 1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक , जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है , को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। नकली/घटिया/मिलावटी उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य में नकली उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने हेतु, क्षेत्र स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है और प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला , कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित आधार पर किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है।

**(ग) से (घ):** छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार , पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में मारे गए छापों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना **अनुलग्नाक** में दी गई है।

******

अनुलग्नाक (पी-1)

वर्ष – 2019-20

| ???? | ??????? ????? | | ???? ?????? | ???? ??? ?? ??????? | ??????? ??? ?????? ?? ?? | ????? ?? | ????? ?? ?????? | ???? ?? ???? | ???? ???? ??? ???? ?? ???????? ?????? | ?????? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?????? | ?????? ?? ???? ????? | ??? ????? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ????? | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | ????? | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ????????? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? ???????? | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | 558 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | |

(पी-2)

वर्ष – 2020-21

| ???? | ??????? ????? | | ???? ?????? | ???? ??? ?? ??????? | ??????? ??? ?????? ?? ?? | ????? ?? | ????? ?? ?????' | ???? ?? ???? | ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? | ?????? ??????? ?? ?????' ???? ?????? ?????? | ?????? ?? ???? ????? | ??? ????? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ????? | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | ????? | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ????????? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? ???????? | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | 286 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | |

(पी-3)

वर्ष – 2021-22

| ???? | ??????? ????? | | ???? ?????? | ???? ?? ??????? | ??????? ??? ?????? ?? ?? | ????? ?? | ????? ?? ?????? | ???? ?? ???? | ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? | ?????? ??????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? | ?????? ?? ???? ????? | ??? ????? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ????? | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | ????? | 139 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | ?????????? | 5 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | ????????? ?? ?? ???? ?? ?????? | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 4 | ???? ?????? | 52 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| कुल | | 196 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |

(पी-4)

वर्ष – 2022-23

| ???? | ??????? ????? | | ???? ?????? | ???? ??? ?? ??????? | ??????? ??? ?????? ?? ?? | ????? ?? | ????? ?? ????? | ???? ?? ???? | ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? | ?????? ????? ?? ????????? ????????? | ?????? ?? ???? ????? | ??? ????? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ?????? | | | | | | | | | | |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | ????? | 110 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ????????? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/सी-150/2021-22/12.12.2022 | स्वा2स्तिक बायो फर्टिलाइजर प्रा.लि. रेवाड़ी, हरियाणा द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक व्याकपार किया जा रहा था। | कलेक्ट र एवं जिला दण्डादधिकारी के न्या ायालय में प्रस्तुत | उर्वरक नियंत्रण आदेश खण्डअ 7 ज्ञापन ए-1 का शर्त क्रमांक 2 का उल्लं1घन | 0 | 0 | 1 (60000/- अर्थदण्ड1 अधिरोपित किया गया।) |
| 3 | ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? | 1 | 0 | 1 | 1 | बी 121 | अधिक दर पर उर्वरक विक्रय | 3 (3) | निर्णय दिया गया | अपराध सही पाया गया 68155 रुपये का जुर्माना लगाया गया | 0 | 1 |
| 4 | ???? ???????? | 13 | 0 | 3 | 3 | 15.06.2022 | गोदाम परिवर्तन की सूचना नहीं | ए-1 शर्त-2 | अंतिम चरण में | अपराध सही पाया गया निर्णय लंबित | 1 | 0 |
| | | | | | | 07.07.2022 | | ए-1 शर्त-2 | अंतिम चरण में | अपराध सही पाया गया निर्णय लंबित | 1 | 0 |
| | | | | | | 202108241200006 | जैव उत्प्रे0रकों का अवैध भंडारण | उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड -19(सी) | निर्णय दिया गया | अपराध सही पाया गया 10000 रुपये जुर्माना | 0 | 1 |
| **कुल** | | 125 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |

(पी-5)

वर्ष – 2023-24

| ???? | ??????? ????? | | ???? ?????? | ???? ??? ?? ??????? | ??????? ??? ?????? ?? ?? | ????? ?? | ????? ?? ?????? | ???? ?? ???? | ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? | ?????? ??????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? | ?????? ?? ???? ????? | ??? ????? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ????? | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ????? | 193 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | ????????? | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 3 | ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | ???? ???????? | 63 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| कुल | | 263 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |

टिप्पुणी: 04 मामले एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रक्रियाधीन है 4 मामलों को डीएम न्यालयालय में पेश किया गया ,है1 मामला जिला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।